छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 19/06/2017

क्रमांक एफ 10–8/2017/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती हैं :–

कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

I. योजना का नाम "**कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना** " होगा।
II. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कचरा बिनने वाले को दस्ताना, जूता एवं रेनकोट अथवा सीएसआईडी द्वारा निर्धारित दर हितग्राही को प्रदाय किया जावेगा।
III. सहायता राशि एक बार प्रदाय किया जावेगा।
IV. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

I. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत कचरा बिनने वाले को योजना का लाभ प्रदाय किया जोवगा।
II. राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
III. 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

हितग्राही द्वारा किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर, श्रम केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(द) भुगतान की प्रक्रिया :–

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वारा अथवा सामग्री का भुगतान किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण :–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

19/6/17

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

....2....

C:\Users\Netam\Desktop\netam Desc\adhisuchana.doc

पृष्ठांकन एफ 10–8/2017/16 **नया रायपुर, दिनांक 19 /06/2017**

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
4. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
6. कलेक्टर जिला– .... (छ0ग0)।
7. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. गार्ड फाईल।

19/6/17

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग